संख्या-03/2026/I/1192905/2026/ 23-6099/256/2025

प्रेषक,

सुभाष राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 01 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष-2025-26 में प्रदेश के कतिपय जनपदों के कुल 14 सेतुओं की मरम्मत का कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कतिपय पत्र (तालिका के प्रस्तर-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2025-26 में प्रदेश के कतिपय जनपदों के कुल 14 सेतुओं की मरम्मत के कार्य हेतु तालिका के कॉलम-7 में अंकित कुल लागत रू0 1297.90 लाख (रूपये बारह करोड़ सत्तान्वे लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों सहित श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक	जनपद	कार्य का विवरण	लागत	GST (18 %)	कुल लागत (18 % GST सहित) (5+6)	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7	8
1	383808/25 Dt. 17.12.25	आजमगढ़	जनपद आजमगढ में जोकहरा से सहबदिया होते हुये महुला गढ़वल बंधा तक सम्पर्क मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 सेतु के मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य।	47.19	8.49	55.68	लो0नि0वि0
2	383800/25 Dt.17.12.25	चित्रकूट	बांदा बबेरू कमासिन राजापुर एस0एच0-92 के किमी0-80 में ग्राम महुँवा के पास पैश्वनी नदी पर बने सेतु के मरम्मत का कार्य।	94.21	16.96	111.17	लो0नि0वि0
3	383746/25 Dt.17.12.25	चित्रकूट	बांदा बबेरू कमासिन राजापुर एस0एच0-92 के किमी0-69 में ग्राम लमियारी के पास बागेन नदी पर बने सेतु के मरम्मत का कार्य।	96.31	17.34	113.65	लो0नि0वि0
4	347160/25 Dt. 18.11.25	बस्ती	जनपद बस्ती में बभनान से गौर टिनिच वाया वाल्टरगंज भिटिया चौराहा मार्ग के कि0मी0-19 में कुआनों नदी पर स्थित सेतु एवं पहुंच मार्ग के अनुरक्षण तथा मरम्मत का कार्य	80.08	14.41	94.49	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	345886/25 Dt.17.11.25	जालौन	जालौन भिण्ड मार्ग (राज्य मार्ग सं0-70) के किमी0 29 में स्थित पहुज नदी पर स्थित सेतु की मरम्मत , रिहेबिलिटेशन , रंगाई , पुताई का कार्य।	136.88	24.64	161.52	लो0नि0वि0
6	383794/25 Dt.17.12.25	लखीमपुर खीरी	बिलराया पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21) के कि0मी0-5 में जौराहा नाले पर सेतु का अनुरक्षण का कार्य।	65.24	11.74	76.98	लो0नि0वि0
7	383758/25 Dt.17.12.25	सीतापुर	बरेली सीतापुर बाईपास (महोली) के कि0मी0-3 में स्थित चड़रा पुल एवं एप्रोच के सुरक्षा सम्बन्धी कार्य।	57.11	10.28	67.39	लो0नि0वि0
8	383789/25 Dt.17.12.25	सीतापुर	बहराईच सीतापुर (राज्य मार्ग) के किमी0 80 में गोन नदी पर स्थित कटरा ब्रिज के पहुंच मार्ग की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य।	117.90	21.22	139.12	लो0नि0वि0
9	383749/25 Dt.17.12.25	सीतापुर	सदर बाजार से बहुगुणा चौराहा होते हुए कनवाखेड़ा मधवापुर रामकोट मार्ग (अ0जि0मा0) के सरायन नदी पर स्थित सेतु के पहुंच मार्ग की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य।	52.64	9.48	62.12	लो0नि0वि0
10	383763/25 Dt.17.12.25	सीतापुर	वित्तीय वर्ष 2025-26 में रतनगंज काशीपुर भिठौली चन्द्रसेनी जहांगीराबाद मार्ग (अ0जि0मार्ग) के किमी0 19 में स्थित लघु सेतु का मरम्मत कार्य।	34.96	6.29	41.25	लो0नि0वि0
11	333855/25 Dt.07.11.25	उन्नाव	जनपद उन्नाव में असोहा बनी मार्ग (अ0जि0मा0) के सई नदी दीर्घ सेतु के पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य	45.26	8.15	53.41	लो0नि0वि0
12	333859/25 Dt.07.11.25	उन्नाव	जनपद उन्नाव में मौरावां बछरावां महाराजगंज निगोहा मार्ग (एम0डी0आर0) के सई नदी दीर्घ सेतु के पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य	144.01	25.92	169.93	लो0नि0वि0
13	339597/25 Dt.12.11.25	अमरोहा	जनपद अमरोहा में धनौरा-अमरोहा-ठाकुरद्वारा मार्ग (राज्य मार्ग-145) के कि0मी0 27 में स्थित वान नदी पर सेतु की मरम्मत का कार्य।	55.16	9.93	65.09	लो0नि0वि0
14	339594/25 Dt.12.11.25	अमरोहा	जनपद अमरोहा में नहटौर-नूरपुर-अमरोहा-जोया मार्ग (राज्य मार्ग-77) के कि0मी0 39 में रामगंगा फीडर नहर पर बने पुल की मरम्मत का कार्य।	72.97	13.13	86.10	लो0नि0वि0
			कुल योग	**1099.92**	**197.98**	**1297.90**	

<u>नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता / अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी०एस०टी० की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(5) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(8) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(9) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(11) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 द्वारा सुसंगत शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्यों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-800-अन्य व्यय-04-पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत-29-अनुरक्षण मद में राजस्व लेखा में अनुरक्षण कार्यों हेतु आय-व्ययक से प्राप्त धनराशि रू0 130.00 करोड़, जिसे शासनादेश दिनांक 01.08.2025 द्वारा प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखा गया है, से उक्त धनराशि का वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मण्डलायुक्त, सम्बन्धित मण्डल/ जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3- मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
7- संबंधित कोषाधिकारी।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

http://shasanades

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।